राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 2070/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
समुन्द्र सैनी प्लाट नम्बर 6 सी लक्ष्मी नगर सेक्टर-1] नांगल मोड] झोटवाडा जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुलिस विभाग, जयपुर (पश्चिम) जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 02-05-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री दिलीप सिंह, हैड कांस्टेबल उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 27-7-17 के द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध खोली गई हिस्ट्रीशीट पत्रावली की प्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उनके विरूद्ध हिस्ट्रीशीट खोली गई है, वह न्यायालय में उक्त हिस्ट्रीशीट के विरूद्ध अपने बचाव में कार्यवाही नहीं कर पा रहा है, अतः वांछित सूचना दिलवाई जावे। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया अपीलार्थी को पत्र दिनांक 14-8-17 से थानाधिकारी, पुलिस थाना झोटवाडा से प्राप्त पत्र दिनांक 12-8-17 की प्रति संलग्न कर प्रेषित कर दी गई थी। यह भी निवेदन किया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपील संख्या 84/17 में पारित निर्णय दिनांक 24-10-17 में यह निर्णित किया है कि हिस्ट्रीशीट पत्रावली में चैकिंग अधिकारी द्वारा समय समय पर चैक किया जाकर नोट अंकित किया जाता है तथा हिस्ट्रीशीटर की गतिविधियों का अंकन किया जाता है। हिस्ट्रीशीट पत्रावली की छाया प्रति उपलब्ध करवाने पर चैंकिग अधिकारी की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ऐसी सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी के जीवन व शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 8(1)(जी) के तहत अदेय सूचना की श्रेणी में आती है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 28-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को गोपनीय सूचना होने का कारण प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना प्रदान नहीं की गई है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम-2005 की धारा 8(1)(जी) के तहत संबंधित की

सुरक्षा को खतरा होने के कारण, सूचना दिया जाना उचित नहीं माना है। प्रथम अपीलीय अधिकारी का अभिमत कि हिस्ट्रीशीट खोलने वाले अधिकारी की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, में वजन है परन्तु अधिनियम-2005 के प्रावधानों एवं माननीय न्यायालय के निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि प्रेषित की जाने वाली सूचना में अंकित ऐसी सूचना, जिससे कि किसी के जीवन को खतरा होने की सम्भावना है, को विलोपित करते हुए, अपीलार्थी को शेष सूचना, आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अभिलेखानुसार अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर, निःशुल्क जरिये पंजीकृत डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त